न्यायिक प्रयोजनार्थ हेतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/5750/2015/जोधपुर बुधाराम बनाम हडमानराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थित–
श्री अजयपाल ढिढारिया व श्री बुधराज प्रजापति, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री विरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 4.4.19

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-09-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राज्य सरकार व अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अंकित किया कि उसकी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 700 वाके ग्राम फींच में पहुंचने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 695 में से 30 फीट का रास्ता उपलब्ध करवाया जावें। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के कम में दोनों पक्षों की बहस सुनकर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिनांक 05-08-2015 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 08-09-2015 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत न्यायालय के निर्णय को खारिज कर प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि सभी पक्षकारान को सुनवाई समुचित का अवसर प्रदान कर पुनः

Scanned by CamScanner

सजकीय प्रयोजनार्थ हेतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/5750/2015/जोधपुर बुधाराम बनाम हडमानराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कार्यवाही करते हुए नियमानुसार यथोचित निर्णय पारित करें। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-09-2015 से व्यथित होकर प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की निगरानी के संबंध में बहस सुनी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होंने कहा कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय में यह अंकन कि आदेशिका पर किसी भी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं है। इस संबंध में उनका कहना है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका पर अप्रार्थी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर अंकित है तथा उनके द्वारा बहस किए जाने की स्थिति में दोनों पक्षों की उपस्थिति में विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अतः अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय आदेश 41 नियम 23, 23-ए, 24 व 25 के प्रावधानों के विपरीत है। उनका कहना है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के समस्त दस्तावेज, साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर भूल की है। उनका तर्क है कि मामले में विचारण न्यायालय ने प्रकरण से संबंधित वांछित मौका रिपोर्ट प्राप्त की, जिसके बाबत अप्रार्थी द्वारा आपत्ति किए जाने के क्रम में न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20-04-2015 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिए जाने के कारण उक्त आदेश अन्तिम हो गया है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में हस्तगत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है तथा आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के आदेश दिनांक 08-09-2015

COMPARED BY

Scanned by CamScanner

राजकीय प्रयोजनार्थ हेतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/5750/2015/जोधपुर बुधाराम बनाम हडमानराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-08-2015 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2009 (1) आरआरटी 55 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत निगरानी का घोर विरोध करते हुए कहा कि आक्षेपित आदेश न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा विधि सम्मत है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रार्थीगण ने ऐसे किसी नवीन तथ्यों का समावेश नहीं किया है जिसके आधार पर विधि सम्मत तरीके से पारित आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए। उनका कहना है कि मामले में वांछित मौका रिपोर्ट गलत तौर पर मौके की स्थिति के विपरीत तैयार की गई है, जिस पर उनके द्वारा आपत्ति किए जाने पर उनकी आपत्ति को नजरन्दाज कर दिया गया। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण बहस हेतु विचाराधीन था तथा दिनांक 27-05-2015 की आदेशिका के अनुसार आगामी पेशी दिनांक 11-08-2015 निर्धारित की गयी थी, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी स्वयं व उसके अधिवक्ता को सूचित किए बिना ही दिनांक 05-08-2015 को आदेश पारित कर दिया गया, इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है तथा उनके द्वारा अपील किए जाने पर अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित करने में किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। उक्त विधिक परिवेश में आक्षेपित आदेश एक विधि सम्मत आदेश है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को निरस्त कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने की	

प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARED BY

Scanned by CamScanner

राजकीय प्रयोजनार्थ हेतु

प्रार्थना की है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशो का अवलोकन किया।

प्रार्थी ने बहस के दौरान आक्षेप उठाया कि मामले में उपखण्ड अधिकारी लूणी ने मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर उन पर पक्षकारान की आपत्ति का निस्तारण करने के पश्चात मौके की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिनांक 05-08-2015 पारित किया है, जो कि विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित है। दूसरी ओर अप्रार्थीगण की आपत्ति है कि मामले में वांछित मौका रिपोर्ट गलत तौर पर मौके की स्थिति के विपरीत तैयार की गई है, जिस पर उनके द्वारा आपत्ति किए जाने पर उनकी आपत्ति को नजरन्दाज कर दिया गया। द्वितीय विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण बहस हेतु विचाराधीन था तथा दिनांक 27-05-2015 की आदेशिका के अनुसार आगामी पेशी दिनांक 11-08-2015 निर्धारित की गयी थी, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी स्वयं व उसके अधिवक्ता को सूचित किए बिना ही दिनांक 05-08-2015 को अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया, इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

दोनों पक्षों की आपत्ति के मद्देनजर हमने आक्षेपित निर्णय का परीक्षण किया है। अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण बहस हेतु निर्धारित था तथा दिनांक 27-05-2015 की आदेशिका के अनुसार आगामी पेशी दिनांक 11-08-2015 निर्धारित की गयी थी, किन्तु 27-05-2015 के बाद अगली आदेशिका दिनांक 06-07-2015 को लिखी होना पाया जाता है, जिसमें पत्रावली दोनों पक्ष की उपस्थिति दर्ज कर न्याय आपके द्वारा अभियान कैम्प कोर्ट में दिनांक

प्रतिलिपिकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARED BY

Scanned by CamScanner

राजकीय प्रयोजनार्थ हेतु

06-07-2015 को पेश होना अंकन किया गया तथा विस्तृत सुनवाई की गई तथा आगे पेशी दिनांक 17-07-2015 दी गई। उल्लेखनीय है कि इस आदेशिका के हाशिए पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर/अगूंठा निशानी नहीं है और नही विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने पर किसी प्रकार की कोई सूचना न्याय आपके द्वारा अभियान शिविर बाबत पक्षकार को सूचित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेशिका की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह उभरकर सामने आता है, जबकि अपीलान्ट एक निरक्षर व्यक्ति है जो केवल मात्र अंगूठा निशान करता है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों ने अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि प्रकरण से संबंधित प्रत्येक पक्षकार को अपनी सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पारित किया गया निर्णय श्रेष्ठकर होता है तथा ऐसे निर्णय पारित करने से पक्षकारान के मध्य भविष्य में और अधिक वाद बाहुल्यता को बढावा नहीं मिलता है। इस स्थिति में अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय जिसके द्वारा उन्होंने सभी पक्षों की सुनवाई कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने संबंधी निष्कर्ष अंकित किया है, जिसमें विधि का कोई उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। साराशंतः प्रस्तुत निगरानी में किसी प्रकार का कोई बल नहीं होने के कारण सारहीन होना पाई जाती है।

निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-09-2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARED BY

Scanned by CamScanner